

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1]

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Education (Siksha Mantralaya)
Department of Higher Education (Uchcharat Siksha Vibhag)
ICR Division

Shastri Bhawan, New Delhi

Dated: 06th March, 2026

NOTIFICATION

No. 9-19/2025-U.3(A): Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. **And whereas**, an online application was submitted by Zagdu Singh Charitable Trust, Kandivali, Mumbai on the UGC Portal for grant of Institution deemed to be University status under general category to Thakur College of Engineering and Technology (TCET), A Block, Thakur Educational Campus, Thakur Shyamnarayan Marg, Thakur Village, Kandivali E, Mumbai, Maharashtra.

3. **And whereas**, UGC, vide its letter No. 29-3/2024 (CPP-I/DU) dated 21.02.2025, informed that UGC Expert Committee, after examining the application as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023, unanimously recommended for grant of Institution deemed to be University status under general category to TCET, Mumbai, with the certain conditions. The recommendation of UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 592nd meeting (Item No. 2.17) held on 23.07.2025.

4. **Now, therefore**, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby declares Thakur College of Engineering and Technology (TCET), Thakur Village, Kandivali E, Mumbai, Maharashtra as an Institution deemed to be University under general category. The said declaration is subject to the following conditions:

- i. All the undertakings given by the sponsoring body shall be strictly followed by the deemed to be University.
- ii. The Institution shall maintain the ratio of PG & Research students and total students is 1:5 and submit compliance in this regard.
- iii. The sponsoring Trust shall obtain NoC from the State Government of Maharashtra as mandated by the University of Mumbai (affiliating University of TCET).
- iv. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
- v. TCET, Mumbai, Maharashtra shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.

प्रति

- vi. The academic programmes to be offered at TCET, Mumbai, Maharashtra shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
- vii. TCET, Mumbai, Maharashtra shall align its courses with National Education Policy-2020.
- viii. TCET, Mumbai, Maharashtra shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- ix. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by TCET, Mumbai, Maharashtra.
- x. TCET, Mumbai, Maharashtra shall submit MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to this Ministry and UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
- xi. TCET, Mumbai, Maharashtra shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
- xii. TCET, Mumbai, Maharashtra shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
- xiii. TCET, Mumbai, Maharashtra shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

पुनिकिशोरजी

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 3432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi - 110002.

Copy forwarded to:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110002 (with direction to ensure and monitor the compliance of the conditions mentioned in the Para 4 of this Notification by the Institute).
2. The Member Secretary, All India Council for Technical Education, Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
3. The Secretary, Zagdu Singh Charitable Trust, Email: thakurgroupofcos@gmail.com

4. The Principal, Thakur College of Engineering & Technology, A – Block, Thakur Educational Campus, Shyamnarayan Thakur Marg, Thakur Village, Kandivali (East), Mumbai – 400001.
5. The Principal Secretary, Higher and Technical Education Department, Government of Maharashtra, Mumbai.
6. The Vice-Chancellor, University of Mumbai, M.G. Road, Fort, Mumbai, Maharashtra - 400 032.
7. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.
8. The Secretary-General, Association of Indian Universities, A.I.U. House, 16, Kotla Marg, New Delhi - 110002.
9. Joint Director (Administration) & Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi with the request to issue necessary instructions to the CMIS Unit to display this notification on the website of Department of Higher Education.
10. PS to Hon'ble EM
11. Guard file / Notification file.



(Jyoti Ranjan)

Under Secretary to the Govt. of India

Tel: +91 11 23381578

[भारत के राजपत्र भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 06 मार्च, 2026

अधिसूचना

सं. 9-19/2025- यू.3(ए): जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. **और जबकि**, जगदू सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट, कांदिवली, मुंबई द्वारा यूजीसी पोर्टल पर ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (टीसीईटी), ए ब्लॉक, ठाकुर एजुकेशनल कैंपस, ठाकुर श्यामनारायण मार्ग, ठाकुर गांव, कांदिवली ई, मुंबई, महाराष्ट्र को सामान्य श्रेणी के तहत सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

3. **और जबकि**, यूजीसी ने दिनांक 21.02.2025 के अपने पत्र संख्या 29-3/2024 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी विशेषज्ञ समिति ने यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार आवेदन की जांच करने के बाद, सर्वसम्मति से कुछ शर्तों के साथ टीसीईटी, मुंबई को सामान्य श्रेणी के तहत सम-विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा देने की सिफारिश की। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा दिनांक 23.07.2025 को हुई अपनी 592वीं बैठक (मद संख्या 2.17) में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

4. **अब, इसलिए**, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, एतदद्वारा ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (टीसीईटी), ठाकुर गांव, कांदिवली ई, मुंबई, महाराष्ट्र को सामान्य श्रेणी के तहत एक सम-विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा देने की घोषणा करता है। यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- i. प्रायोजक निकाय द्वारा दिए गए सभी वचनों का सम विश्वविद्यालय द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।
- ii. संस्थान पीजी और रिसर्च के छात्रों और कुल छात्रों का अनुपात 1:5 बनाए रखेगा और इस संबंध में अनुपालन प्रस्तुत करेगा।
- iii. प्रायोजक ट्रस्ट महाराष्ट्र राज्य सरकार से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा जैसा कि मुंबई विश्वविद्यालय (टीसीईटी) से संबद्ध विश्वविद्यालय) द्वारा अधिदेशित किया गया है।

पूरी

- iv. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना सम विश्वविद्यालय संस्थान/या इसके घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
- v. टीसीईटी, मुंबई, महाराष्ट्र किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा या उसमें सम्मिलित नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।
- vi. टीसीईटी, मुंबई, महाराष्ट्र में प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
- vii. टीसीईटी, मुंबई, महाराष्ट्र अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।
- viii. टीसीईटी, मुंबई, महाराष्ट्र समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध मान्यता के लिए मूल्यांकित कराने और संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त कराने जैसा भी मामला हो, के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगा।
- ix. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और टीसीईटी, मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा उनका अनुपालन किया जाएगा।
- x. टीसीईटी, मुंबई, महाराष्ट्र यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार इस मंत्रालय और यूजीसी को संगम जापन प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, जब भी आवश्यक होगा, यह मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने संगम जापन /नियमों को अद्यतित या संशोधित करेगा।
- xi. टीसीईटी, मुंबई, महाराष्ट्र यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
- xii. टीसीईटी, मुंबई, महाराष्ट्र इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।
- xiii. टीसीईटी, मुंबई, महाराष्ट्र को अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) बनाना होगा, अपने छात्रों की पहचान करनी होगी और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में प्रदर्शित और समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाएं।

पूजित

(पूर्णदु किशोर बनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: +91 11 23383432

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002

प्रतिलिपि अग्रेषितः

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 (संस्थान द्वारा इस अधिसूचना के पैरा 4 में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और निगरानी करने के निर्देश के साथ)।
2. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
3. सचिव, जगदू सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट, ईमेल: thakurgroupofcos@gmail.com
4. प्राचार्य, ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ए - ब्लॉक, ठाकुर एजुकेशनल कैंपस, श्यामनारायण ठाकुर मार्ग, ठाकुर गांव, कांदिवली (पूर्व), मुंबई - 400001
5. प्रधान सचिव, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई।
6. कुलपति, मुंबई विश्वविद्यालय, एमजी रोड, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 032
7. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
8. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ए.आई.यू. हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली - 110002
9. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली से अनुरोध है कि सीएमआईएस इकाई को उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर इस अधिसूचना को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।
10. माननीय शिक्षा मंत्री के पीएस
11. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल



(ज्योति रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: +91 11 23381578